

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.का.स्था.(बिल्स)/ले.प.1/1/2021-22
No.OE(Bills)/ Audit-I/1/2021-22

दिनांक 28.03.2022
Dated: 28.03.2022

परिपत्र सं. 77 /CIRCULAR NO. 77

विषय :- अनुपस्थित विवरण प्रस्तुतीकरण के संबंध में ।

Sub :- Furnishing of Absentee Statement.

प्राप्ति और भुगतान नियम का नियम 67, खंड II, भाग III यह निर्धारित करता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नियमित अवकाश के साथ या उसके बिना महीने के दौरान अनुपस्थित रहता है, तो निर्धारित प्रारूप में अनुपस्थित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

Rule 67, Section II, Part III of Receipt and Payment Rule stipulates that submission of Absentee Statement is necessary in the prescribed format, if a Government Servant was absent during the month with or without regular leave.

अतः सभी अनुभागों/क्षेत्रीय दलों से अनुरोध है कि वे हर अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले पूरे महीने के लिए अनुपस्थिति विवरण प्रस्तुत करें । अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण किसी भी प्रकार की कटौती आगामी माह के वेतन से की जाएगी ।

All sections/field parties are therefore requested to furnish the **Absentee Statement** for the entire month, on or before **10th of the succeeding month**. Any deductions on account of unauthorized absence will be made from the salary of the succeeding month.

(व.उ.म.ले.(प्रशा.) के दिनांक 18.03.2022 के आदेशानुसार)
(Vide Orders dated 18.03.2022 of Sr. DAG (Admn.))

ह. Sd/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/का.स्था (विपत्र)
Senior Audit Officer/ OE(Bills)

प्रतिलिपि/Copy to:

1. Secretary to PAG
2. All Group Officers
3. All Sections
4. Notice Board
5. Sr.AO, Branch office, Kottayam
6. Sr.AO, Branch office, Kozhikode
7. Sr. AO, Branch Office, Kochi